

डिक्री बमुकदमें ईब्दाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 ब्या. प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या-.....7/.../2019

1. मलकीत सिंह } पि0 नत्थूसिंह जाति कुम्हारसिख निवासी
2. जगसीरसिंह } मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
3. कुलदीप सिंह }
4. शहंशाह ढिल्लों पुत्र मलकीतसिंह जाति कुम्हारसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
5. गगनदीपसिंह पुत्र जगसीर सिंह जाति कुम्हारसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
6. प्रगटसिंह पुत्र कुलदीपसिंह जाति कुम्हारसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

- वादीगण

बनाम्

1. नत्थूसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति कुम्हारसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज.)

-प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरु हमारे वहाजरी श्री महेशकुमार गौड वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री हरविन्द्रसिंह गिल प्रतिवादी मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी संख्या 1 चक 14 जी.जी.आर. जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 73/42 का प0न0 183/295 मु0न0 59 कि0न0 6/.253 है0 व इसी चक के खाता संख्या 72/78 का प0न0 183/295 मु0न0 59 कि0न0 8, 13, 18, 22, 23, 24/1.518 है0। वादी संख्या 2 चक 14 जी.जी.आर. जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 73/42 का प0न0 184/295 मु0न0 60 कि0न0 8 ता 13/1.518 है0 व खाता संख्या 75/77 का प0न0 184/296 मु0न0 65 कि0न0 7/.202 (पश्चिमी दिशा) है0 भूमि। वादी संख्या 3 चक 14 जी.जी.आर. जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 75/77 का प0न0 185/296 मु0न0 64 कि0न0 2 ता 7/1.518 है0, प0न0 184/296 मु0न0 65 कि0न0 6/.253, 7/.051 (पूर्व) भूमि। वादी संख्या 4 चक 17 जी.जी.आर. जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 69/61 का प0न0 181/280 मु0न0 54 कि0न0 11 ता 14/1.012, 15/1/.126, 20/1/.127 है0 व चक 15 जी.जी.आर. जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 34 में से 0.076 है0 भूमि, व खाता


अधीक्षक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

संख्या 33 में से 0.101 है। वादी संख्या 5 चक 17 जी.जी.आर. जमाबन्दी सन्वत् 2075-78 खाता संख्या 40 में 0.369 हिस्सा तथा खाता संख्या 119/118 में 1.214 है। भूमि व चक 15 जी.जी.आर. जमाबन्दी सन्वत् 2075-78 खाता संख्या 33 में से 0.051 है। वादी संख्या 6 चक 17 जी.जी.आर. जमाबन्दी सन्वत् 2075-78 खाता संख्या 68/62 का पन्ना 181/280 मु०न० 54 कि०न० 25/253 है, व खाता संख्या 69/61 का पन्ना 181/280 मु०न० 54 कि०न० 23, 24/506 है, तथा खाता संख्या 41/108 में 2.277 है। में से 1/3 हिस्सा भूमि। तथा प्रतिवादी नत्थूसिंह चक न. 14 जी.जी.आर. खाता संख्या 148/141 में वादी संख्या 2 व 3 के हिस्सा की 0.253 है। भूमि के खातेदार है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर चक 14 जी.जी.आर. खाता सं० 73/42, 72/78 चक न. 15 जी.जी.आर. खाता सं० 33 व 34 चक 17 जी. जी.आर. खाता सं० 40, 119/118, 68/62, 69/61 से प्रतिवादी संख्या 1 व चक 14 जी.जी.आर. खाता सं० 148/141 से वादी सं० 2 व 3 का नाम कलमजुन किया जावे तथा इसी चक के खाता सं० 75/77 से प्रतिवादी सं० 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन कर अलग से खाता कायम किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में अन्त दरानद किया जावे।

निज.....नित.....मुश्किल.....नित.....बाबत.....नित.....खर्चा मुकदमें के नय शुद व सरह फौसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।

इसका मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 25/10/19 को जारी किया गया।

(नीलू वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी